उच्च शिक्षा विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

कमांक/ /5052/38-/2014 नया रायपुर, दिनांक 1/12/14

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।

विषय :— दिनांक 14.10.2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गयी समीक्षा बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

—————0—————

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 14.10.2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गयी समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन जानकारी सहित 15 दिवस में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को उपलब्ध करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

S/D
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.कमांक/5318/5052/2014/38-1 नया रायपुर, दिनांक 02/12/14

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, छत्तीसगढ़ शासन।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन।
3. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार।
4. विशेष सहायक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन।
5. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर।
7. निज सहायक, सचिव उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन।

उप सचिव 02/12/14
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभागीय समीक्षा
बैठक दिनांक 14.10.2014 का

कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.10.2014 को अपरान्ह 12:30 बजे मंत्रालय, नया रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मान0 श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री शिवराज सिंह, मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारी–गण उपस्थित रहें। उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–'ब'** पर संलग्न है।

बैठक में सचिव, उच्च शिक्षा विभाग डॉ0 बी0एल0अग्रवाल के द्वारा उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई । बैठक में विभाग की ओर से एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। उक्त प्रस्तुतिकरण की प्रति इस कार्यवाही विवरण का भाग **परिशिष्ट –'अ'** पर संलग्न है।

विभागीय समीक्षा के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही, अर्जित उपलब्धि एवं अन्य सुसंगत गतिविधियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा विभाग की सराहना की गई एवं बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अतिरिक्त रूप से नीतिगत निर्णय लिया गया/निर्देश दिये गये :–

1. **<u>अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति –</u>**

बैठक में माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के प्रस्ताव पर मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रित सदस्यों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जावे। इस संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव निर्णय हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा)

2/ **<u>निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कायिक निधि की राशि की वृद्धि –</u>**

विषयांतर्गत बताया गया कि वर्तमान में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कायिक निधि की राशि दो करोड़ रूपये है, जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पास जमा रहती है। वर्तमान में राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या को देखते हुए एवं इस बात को भी दृष्टिगत रखते हुए कि अच्छे, योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय ही राज्य में आवें। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि कायिक निधि की राशि को विभागीय प्रस्ताव अनुसार दस करोड़ रूपये किया जाना प्रस्तावित है, के स्थान पर वर्तमान में पांच करोड़ रूपये रखा जावे। इस संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन किया जावे।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग द्वारा)

3/ **<u>विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार संकायों/विषयों का युक्तियुक्तकरण –</u>**

बैठक में यह बात ध्यान में आया कि अनेक ऐसे महाविद्यालय हैं जहां कुछ विषयों में छात्र संख्या अत्यंत कम है, जबकि वहां शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की संख्या दर्ज छात्र संख्या से भी अधिक है। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों के कुछ संकायों में भी यही स्थिति है। चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालयों के संकायों एवं महाविद्यालयों के ऐसे विषयों का चिन्हांकन किया जावे । यदि किसी विषय में छात्र संख्या कम हैं तो इसकी समीक्षा कर युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग)

विज्ञान/वाणिज्य एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर फोकस –

बैठक में निर्देशित किया गया कि भविष्य में बी0ए0, एम0ए0 जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के स्थान पर विज्ञान, वाणिज्य एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के ऊपर फोकस किया जाये, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी । राज्य में वैसे भी विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की कमी बनी हुई है । अतः भविष्य में जब भी कोई नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाये तो वहां विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य विषय के साथ–साथ कुछ व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने के संबंध में विचार किया जावे ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

5/ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नैक मूल्यांकन –

बैठक में विभाग के द्वारा नैक मूल्यांकन हेतु किये गये प्रयासों की सराहना की गयी । इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ को 'ए' ग्रेड प्राप्त होने पर एवं अन्य महाविद्यालयों यथा– शास. वी.वाय.टी.पी.जी. महाविद्यालय दुर्ग, शास. बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर एवं सी0एम0डी0 महाविद्यालय, बिलासपुर के द्वारा भी 'ए' ग्रेड प्राप्त किये जाने पर विभाग को बधाई दी गयी। बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी अशासकीय महाविद्यालयों को भी अनिवार्य रूप से नैक प्रत्यायन कराये जाने हेतु निर्देशित करने पर विचार किया जावे ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

6/ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा –

बैठक में मान0 मुख्यमंत्रीजी ने निर्देशित किया कि राज्य के कुछ बडे महाविद्यालयों को प्रथम चरण में वाई–फाई सुविधायुक्त किये जाने पर कार्यवाही प्रारंभ किया जावे । ऐसे महाविद्यालय जहां छात्रों की संख्या अधिक है वहां प्राथमिकताक्रम में कार्यवाही प्रारंभ किया जावे । इस हेतु जनभागीदारी मद के साथ आवश्यक हो तो धनराशि की मांग शासन से भी की जा सकती है । एन0एम0ई0आई0सी0टी0 योजना अंतर्गत जहां बी0एस0एन0एल0 की कनेक्टिविटी में समस्या आ रही है, के संबंध में बैठक लेकर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग/पं0 रविशंकर शुक्ल विवि0,रायपुर)

7/ छात्रों के स्टेश्नरी क्रय की राशि में वृद्धि –

बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को स्टेश्नरी क्रय की राशि में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वृद्धि की गयी है । चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा जावे । इस संबंध में पृथक से परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

8/ छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार –

बैठक में सुझाव दिया गया कि महाविद्यालय के छात्रावासों की स्थिति ठीक नहीं है। अतः उनके सुधार पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए । बताया गया कि छात्रावासों की बेहतर व्यवस्था होने से महाविद्यालयों का वातावरण पढाई के अनुकूल होगा। मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष से छात्रावासों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है एवं आने वाले समय में भवन एवं छात्रावासों

व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने एवं स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिये जाने के लिये विभाग के द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

9/ **<u>नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के पूर्व भौगौलिक स्थिति का आंकलन–</u>**

बैठक में सुझाव दिया गया कि किसी भी स्थान पर नये महाविद्यालय प्रारंभ करने के पूर्व वहां की भौगौलिक स्थिति के साथ–साथ आसपास के स्कूलों में छात्रों की संख्या, यातायात की सुविधा आदि का अध्ययन कराया जाना चाहिए । बहुत छोटे स्थान पर महाविद्यालय प्रारंभ करने के बजाय, संभवतः बेहतर होगा यदि समीप के किसी महाविद्यालय में छात्रावास प्रारंभ किया जाये जिससे उक्त स्थान के छात्र–छात्रायें रह सके एवं अध्यापन का कार्य किया जा सके। सुझाव दिया गया कि दूरस्थ महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टॉफ के रहने की सुविधा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा इस वर्ष दूरस्थ जिलों में शैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था के लिये बजट प्रावधान की जानकारी दी गयी एवं आश्वस्त किया गया कि कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जाने को विभाग द्वारा प्राथमिकता दिया जायेगा ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

10/ **<u>विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान का सरलीकरण –</u>**

बैठक में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले प्रथम किश्त की राशि हेतु वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं है । सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान का आहरण संचालनालय उच्च शिक्षा विभाग को करना होता है । इसमें बिल लगाने से लेकर राशि आहरण कर विश्वविद्यालयों को देने में विलंब होता है । बैठक में निर्देशित किया गया कि उक्त व्यवस्था की समीक्षा वित्त विभाग के द्वारा की जाये एवं ऐसी व्यवस्था विकसित की जावे कि संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा ही राशि का आहरण किया जावे ।

(कार्यवाही– वित्त विभाग)

11/ **<u>अशासकीय महाविद्यालयों का शासकीयकरण –</u>**

बैठक में जानकारी दी गयी कि मंत्रि परिषद निर्णय के फलस्वरूप नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनीनगर (अहिवारा),जिला–दुर्ग, ग्राम्य भारतीय विद्यापीठ हरदी बाजार, जिला कोरबा एवं शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर का शासकीयकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है । बैठक में कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के शासकीयकरण की प्रक्रिया में आ रही वैधानिक एवं व्यवहारिक कठिनाईयों की ओर विभाग के द्वारा मान0 मुख्यमंत्रीजी को अवगत कराया गया । बैठक में निर्देशित किया गया कि चूंकि शासन का निर्णय हो चुका है, अतः इस संबंध में विभाग के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावे । कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर को दी गयी लीज भूमि के संबंध में भी नियमानुसार निराकरण करने की कार्यवाही की जावे ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

12/ **<u>महाविद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना –</u>**

चर्चा उपरांत मान0 मुख्यमंत्रीजी ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में छात्रों की समुचित पढाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य से

सभी प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्यतः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक की जावे। यह भी आदेशित किया गया कि इस हेतु महाविद्यालयों में उपस्थिति पंजी रखा जाकर सभी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य किया जाये । इस बात पर नाराजगी व्यक्त की गयी कि अनेक महाविद्यालयों में कुछ प्राध्यापक एक या दो पीरियड पढाने के बाद चले जाते हैं, जबकि कार्यालयीन तथा अध्ययन का समय शासन के द्वारा 10.30 से 5.30 तक निर्धारित किया गया है । बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे महाविद्यालय जहां 2 पालियों में कक्षायें चलायी जा रही है वहां भी अनिवार्यतः 7 घण्टे उपस्थिति की बाध्यता किया जावे। इस संबंध में विभाग द्वारा कड़े निर्देश जारी किये जावें तथा उसका पालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

13/ **<u>नव–नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना हेतु नीति –</u>**

बैठक में अवगत कराया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में महाविद्यालयों में अनेक शिक्षकों के पद रिक्त है । इस संबंध में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि विभाग ऐसी नीति बनाये जिसमें नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को यथासंभव दूरस्थ महाविद्यालयों में पदस्थ किया जाये एवं पूर्व से ही कार्यरत प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापक, जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है, को भी अनुसूचित क्षेत्र में अनिवार्यतः 3 वर्ष/5 वर्ष सेवायें देने हेतु नीति निर्धारित की जावे।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

14/ **<u>निजी महाविद्यालयों का शुल्क निर्धारण –</u>**

घोषणा–पत्र के बिन्दु अनुसार बैठक में निर्देशित किया गया कि निजी महाविद्यालयों के शुल्क निर्धारण का विषय तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित है एवं मुख्य रूप से यह व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये है । अतः उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

15/ **<u>शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था –</u>**

बैठक में मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना बनायी जाये । इस हेतु आई0आई0एम0 जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि नया रायपूर में लीडरशीप अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त अकादमी के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के प्राचार्यो/प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का कार्य किया जायेगा तथा इसका संचालन TISS के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्ताव की सराहना की गयी एवं निर्देशित किया गया कि इस संबंध में समुचित कार्यवाही शीघ्र किया जावे ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

16/ **<u>रूसा परियोजना की समीक्षा –</u>**

बैठक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना की समीक्षा की गई। बताया गया कि रू. 2377 करोड़ की कार्य योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है एवं राज्य के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के द्वारा कार्य योजना बनाया गया है। योजना अन्तर्गत 65 प्रतिशत राशि

का व्ययभार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं 35 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य योजना की प्रशंसा करते हुए विभाग द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही की सराहना की गई।

बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार से प्रिपरेटरी ग्रान्ट के रूप में रू. चार करोड़ की राशि (राज्यांश सहित) प्राप्त हो गई है।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग द्वारा)

17/ <u>प्रदेश में मॉडल कालेजों की स्थापना –</u>

बैठक में बताया गया कि रूसा परियोजना के साथ–साथ विभाग की योजना है कि राज्य बजट से भी सहायता प्राप्त करते हुए प्रत्येक जिले में मॉडल कॉलेज की स्थापना की जावे। मॉडल कॉलेज की स्थापना वर्तमान में कार्यरत महाविद्यालयों को अपग्रेड कर किया जा सकता है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में प्रस्तावित है। इससे दूरस्थ अंचलों के बच्चों को अच्छा अवसर मिलेगा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सकेगी। राजनांदगांव जिले को भी इसके तहत सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

18/ <u>नये विश्वविद्यालयों की स्थापना</u> –

बैठक में जानकारी दी गई कि विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग को नेक द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में रूसा के गाइड लाइन के अनुसार उक्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना विचाराधीन है। निर्देशित किया गया कि वैसे भी दुर्ग एक नया संभाग बन गया है, अतः दुर्ग के उक्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

19/ <u>एकीकृत छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि –</u>

बैठक में बताया गया कि एकीकृत छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में काफी समय से कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसमें वृद्धि करने से छात्रों के लिए बेहतर होगा। आगामी बजट के समय इस पर विचार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

20/ <u>नवीन योजनाओं के संबंध में चर्चा –</u>

विभाग के द्वारा निम्नलिखित नवीन योजनाओं के संबंध में प्रस्तृतिकरण दिया गया :

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गारंटी योजना
2. मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा कौशल विकास योजना
3. मुख्यमंत्री आदर्श महाविद्यालय योजना
4. मुख्यमंत्री आवासीय उच्च शिक्षा निकेतन योजना

राष्ट्रीय शैक्षिक नेतृत्व अकादमी की स्थापना –

बैठक में इन सभी योजनाओं पर चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि सभी योजनाएँ अच्छी हैं। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभाग के द्वारा वित्त विभाग को भेजा जाए। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वीकृत कर योजनाओं को कियान्वित करने के बारे में निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग)

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(मान0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा अनुमोदित)

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।
परि.'अ' एवं 'ब'

(डॉ0बी0एल0अग्रवाल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग